भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1958
10 मार्च, 2026 के लिए प्रश्न

नए गोदामों/साइलो का निर्माण

1958. श्री महेंद्र भट्ट:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में आपातकालीन परिस्थितियों में खाद्यान्न की आपूर्ति क्षमता बढ़ाने के लिए नए गोदामों/साइलो के निर्माण की कोई योजना बनाने पर विचार कर रही है; और
(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): भंडारण क्षमता की आवश्यकता, अर्थात् नए गोदामों/साइलो का निर्माण, मुख्यतः चावल और गेहूं के लिए खरीद के स्तर, बफर मानदंडों की आवश्यकता और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के प्रचालनों पर निर्भर करता है। सरकार भंडारण अंतराल का निरंतर आकलन और निगरानी करती है और इसके आधार पर, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई)/केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) के माध्यम से निम्नलिखित योजनाओं द्वारा भंडारण क्षमताएं सृजित/किराए पर ली जाती हैं:-

1. निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) योजना
2. केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस) भंडारण एवं गोदाम (विशेषतः पूर्वोत्तर पर) 2017-25 [समाप्त तिथि: 31.03.2025]
3. सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति के तहत साइलो का निर्माण
4. केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी)/राज्य भंडारण निगमों (एसडब्ल्यूसी)/राज्य एजेंसियों से गोदामों को किराये पर लेना
5. निजी भांडागारण योजना (पीडब्ल्यूएस) के माध्यम से गोदामों को किराये पर लेना
6. परिसंपत्ति मुद्रीकरण के तहत एफसीआई की स्वामित्व वाली भूमि पर गोदामों का निर्माण

...2/-

7. कवर्ड एंड प्लिंथ हायरिंग (सीएपी) योजना – 2025
8. पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए संशोधित पीईजी योजना, जिसमें 15 वर्ष की दीर्घकालिक गारंटी अवधि शामिल है

उत्तराखंड में वर्तमान में उपलब्ध भंडारण क्षमता का सारणीबद्ध विवरण निम्नानुसार है:-

स्वामित्व वाली	पहाड़ी क्षेत्र (लाख टन में)	गैर-पहाड़ी क्षेत्र
उत्तराखंड सरकार	0.53	1.52
एफसीआई	0.015	2.039

इसके अलावा, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) के पास दिनांक 1 फरवरी 2026 तक कुल 95698 टन क्षमता वाले 7 गोदाम हैं।

अभी तक की स्थिति के अनुसार, उत्तराखंड राज्य में नई क्षमता सृजित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
